



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241154  
CG-DL-E-16122022-241154

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665]  
No. 665]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान  
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/जी/266/17/डीडी/232/17/डीसी/1248/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. अमित भट्टाचार्जी (सदस्यता संख्या 050714), राजा चेम्बर्स, 4 किरण शंकर रे रोड, कोलकाता (पश्चिमी बंगाल) -700001 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (5), (7) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अमित भट्टाचार्जी (सदस्यता संख्या 050714) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. अमित भट्टाचार्जी (सदस्यता संख्या 050714) का नाम, 16 दिसंबर, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./482/2022-23]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA****(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2022

**(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

**No. PR/G/266/17/DD/232/17/DC/1248/2019.**—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Amit Bhattacharjee (Membership No. 050714), Raja Chambers, 4 Kiran Sankar Ray Road, KOLKATA(West Bengal)-700001**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (5), (7) & (9) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Amit Bhattacharjee (Membership No. 050714)** from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Amit Bhattacharjee (Membership No. 050714)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 1(one) month with effect from 16<sup>th</sup> December, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./482/2022-23]